"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2006—चैत्र 6, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 27 मार्च, 2006

क्रमांक-5055/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 4 सन् 2006), जो दिनांक 27 मार्च, 2006 को पुरः स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006

(क्रमांक 4 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्र. 16 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1\. (एक) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(दो) यह दिनांक 1 अप्रेल 2006 से प्रवृत होगा।

धारा 2, 7, 18 एवं 20 का संशोधन

2\. छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम की धारा 2, 7, 18 एवं 20 में जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995)" आये हों, के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा दिनांक 25.02.2006 को वर्ष 2006—07 के लिये प्रस्तुत बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार दिनांक 01.04.2006 से "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994" के स्थान पर "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2005" लागू होगा

दिनांक 01.04.2006 से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू होने पर छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 में प्रयुक्त "वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995)" के स्थान पर "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2005 (क.2 सन् 2005)" एवं उसकी धाराओं का प्रतिस्थापन आवश्यक है। अतः राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006 को प्रस्तुत करने का विनिश्चय किया गया।

2\. अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अमर अग्रवाल

रायपुर, वाणिज्यिक कर मंत्री

दिनांक 21/03/2006 (भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम,1995 की धारा 2, 7, 18 एवं 20 के वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

धारा 2 परिभाषाएँ — इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "वृत्तिकर अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995) की धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए अपीलीय उपायुक्त या अपर अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर की पदश्रेणी का कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस हेतु प्राधिकृत करे कि वह इस अधिनियम के अधीन वृत्ति कर अपीलीय प्राधिकारी के ऐसे कृत्यों का, जैसे कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पालन करें।

(ख) "वृत्ति कर निर्धारण अधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995) की धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस हेतु प्राधिकृत करें कि वह इस अधिनियम के अधीन वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे कृत्यों का, जैसे कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पालन करें।

(ग) "कर्मचारी से अभिप्रेत है" (वेतन या मजदूरी) पर नियोजित किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत है –

(1) ऐसा सरकारी सेवक, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के राजस्व से या रेल निधि से वेतन प्राप्त कर रहा है,

(2) ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे निकाय की सेवा में है जो चाहे निगमित है या नहीं है और जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, और ऐसा निकाय राज्य के किसी भाग में कार्यरत है, भले ही उसका मुख्यालय राज्य के बाहर स्थित है,

(3) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे नियोजक के मद (एक) और (दो) के अंतर्गत नहीं आता है किसी भी नियोजन में लगा हुआ हैं।

(घ) किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो नियोजक के अधीन कोई (वेतन या मजदूरी) नियमित आधार पर उपार्जित कर रहा है, "नियोजक" से अभिप्रेत है। वह व्यक्ति या अधिकारी जो ऐसे (वेतन या मज़दूरी) का संवितरण करने के लिए उत्तरदायी है और उसके अंतर्गत कार्यालय या स्थापना का प्रधान तथा साथ ही नियोजक का प्रबन्धक या अभिकर्ता (एजेन्ट) भी है।

(ङ) "आय से अभिप्रेत है" राज्य के भीतर किसी व्यक्ति को कृषि से भिन्न किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका से प्रोदभूत होने वाला–

(1) लाभ और अभिलाभ

(2) लाभांश और ब्याज

(3) किसी कम्पनी से किसी ऐसे निदेशक या व्यक्ति द्वारा, जो उस कम्पनी में सारवान हित रखता है, अभिप्राप्त किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य, चाहे वह धन के रूप में सम्परिवर्तनीय है या नहीं है तथा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा किसी कार्य की बाबत् भुगतान की गई कोई धनराशि जो, ऐसा भुगतान न किए जाने पर, पूर्वोक्त निदेशक या अन्य व्यक्ति द्वारा देय होती।

(च) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य में किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन से लगा हुआ है और उसके अंतर्गत इस प्रकार किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन में लगा हुआ कोई हिन्दू अविभक्त, कुटुंब, फर्म, कम्पनी निगम या कोई अन्य निगमित निकाय, कोई सोसायटी क्लब या संस्था है किन्तु उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है (वेतन या मजदूरी) को उपार्जन आकस्मिक आधार पर करता है।

(छ) "पूर्व वर्ष" से अभिप्रेत है उस वर्ष के, जिसके संबंध में, निर्धारित किया जाना है, ठीक पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाले बारह मास।

(ज) "वेतन या मजदूरी" के अंतर्गत है किसी व्यक्ति द्वारा नियमित आधार पर प्राप्त किया जाने वाला वेतन, मंहगाई भत्ता और भत्तों को सम्मिलित करते हुए समस्त अन्य पारिश्रमिक चाहे वह नकद में या वस्तु रूप में देय हो और उसके अंतर्गत आय कर अधिनियम, 1961(1961 का सं. 43) की धारा 17 में यथा परिभाषित वेतन के बदले में देय परिलब्धियॉ तथा लाभ भी आते हैं किन्तु उसके अंतर्गत बोनस चाहे वह किसी भी रूप में किसी भी लेखे हो, और उपदान तथा पेंशन नहीं है।

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रति है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची।

(ञ) "कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन देय कर।

(ट) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा 7 कर–निर्धारण प्राधिकारी

(1) इस अधिनियम का प्रशासन मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995) की धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त, वाणिज्यिक कर में निहित होगा जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वृत्ति कर आयुक्त के रूप में अभिहित किया जाएगा।

(2) वृत्ति कर आयुक्त इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी तथा वृत्ति कर अपीलीय प्राधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदान की जाये या उन पर अधिरोपित किए जायें।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा 18 पुनरीक्षण

(1) वृत्ति कर आयुक्त, स्वप्रेरणा से, किसी भी ऐसे आदेश का, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है, पुनरीक्षण कर सकेगा

पुनरीक्षण कर सकेगा,

परन्तु इस उपधारा के अधीन वृत्ति कर आयुक्त द्वारा किसी भी आदेश का पुनरीक्षण उस आदेश के, जिसके कि विरूद्ध आक्षेप किया गया है, पारित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष का अवसान हो चुकने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, पारित नहीं किया जाएगा।

(3) वृत्ति कर आयुक्त उपधारा (1) के अधीन की अपनी शक्ति, मध्यपदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995) की धारा 3 के अधीन नियुक्त किये गये अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा 20 लेखाओं तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना और उनका निरीक्षण और परिसर की तलाशी

(1) वृत्ति कर आयुक्त किसी भी ऐसे परिसर का, जहां कि इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन किया जाता है या उसके लिये जाने का संदेह है, निरीक्षण कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, और उससे संबंधित लेखा पुस्तकों, रजिस्टरों, लेखाओं या दस्तावेजों को पेश करवा सकेगा और उनकी परीक्षा करवा सकेगा तथा ऐसी लेखा पुस्तकों, रजिस्टरों, लेखाओं या दस्तावेजों का, जो कि आवश्यक हो, अभिग्रहण कर सकेगा :

परन्तु यदि वृत्ति कर आयुक्त, उक्त परिसर से किसी लेखा पुस्तक, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेजों को ले जाता है, तो वह उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति को एक रसीद देगा जिसमें उस लेखा पुस्तक, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेज का, जो उसके द्वारा इस प्रकार ले जाई गई है, वर्णन किया जाएगा और वह ऐसी लेखा पुस्तक, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेज को केवल उतने समय तक अपने पास रखेगा जितना कि उसकी परीक्षा के या किसी अभियोजन के प्रयोजनों के लिएँ आवश्यक हो।

(2) वृत्ति कर आयुक्त, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाय, उपधारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियां मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1995 (कमांक 5 सन् 1995) की धारा 3 के अधीन नियुक्ति किये गये किसी ऐसे अधिकारी को जो निरीक्षक, वाणिज्यिक कर की पद श्रेणी से ऊपर की पद श्रेणी का हो, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.